



## **The Uttarakhand Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2022**

Act No. 15 of 2023

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या-54

पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2021-2023



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 08 मई, 2023 ई0

बैशाख 18, 1945 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

#### विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 176/XXXVI(3)/2023/78(1)/2022

देहरादून, 08 मई, 2023

### अधिसूचना

### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022’ पर दिनांक 03 मई, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 15, वर्ष- 2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित पति

  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2023)

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये,

## अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- |                                    |    |     |   |
|------------------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1. | (1) | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 है।  |
|                                    |    | (2) | यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।   |
|                                    |    | (3) | यह दिनांक 01 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।  |
| पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा           | 2  |     | किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी 'अर्हकारी सेवा' से सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिये की गई सेवा अभिप्रेत है।  |
| विधिमान्यकरण                       | 3  |     | किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 3 के उपनियम (8) एवं उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 01 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे। |
| अध्यारोही प्रभाव                   | 4. |     | अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।  |

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,  
सचिव।



## उद्देश्य और कारणों का ज्ञापन

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के अधिनियमित होने के बावजूद भी विभिन्न कार्मिकों द्वारा दैनिक वेतन श्रमिक, तदर्थ, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन एवं अंशकालिक रूप में तैनात होने की तिथि से सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने हेतु मा0 न्यायालयों में वाद योजित किये जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राज्य के सीमित संसाधन के दृष्टिगत पारदर्शी प्रक्रिया लाये जाने के उद्देश्य से एक कानून बनाया जाना आवश्यक है।

02. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल)  
मंत्री।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

लोक सूचना अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

No. 176/XXXVI(3)/2023/78(1)/2022

Dated Dehradun, May 08, 2023NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2022' (Act No. 15 of 2023).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03<sup>rd</sup> May, 2023.

**The Uttarakhand Qualifying Service For Pension And Validation Act, 2022**

(Uttarakhand Act No. 15 of 2023)

**An****Act**

to provide for qualifying service for pension and to validate certain actions taken in this behalf and for matters connected therewith or incidental thereto,

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows-

Short title, extent and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2022.
	(2)	It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
	(3)	It shall be deemed to have come into force on April 1, 1961.
Qualifying Service for Pension	2	Notwithstanding anything contained in any rule, regulation or Government order for the purposes of entitlement of pension to an officer, "Qualifying Service" means the services rendered by an officer appointed on a temporary or permanent post in accordance with the provisions of the service rules prescribed by the Government for the post.

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी  
निधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

- 201
- 134
- Validation 3 Notwithstanding any Judgement, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done action taken or purporting to have been taken under or in relation to sub-rule (8) of rule 3 of the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules, 1961 (As applicable in Uttarakhand) and the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018 before the commencement of this Act, shall be deemed to be and always to have been done or taken under the provisions of this Act and to be and always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times with effect from April 1, 1961.
- Overriding effect. 4. Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force other than this Act.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,  
Secretary.

प्रमाणित पति

  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड



### Statement of objects and reasons

Despite the enactment of the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018, cases are being filed in honorable courts for giving retirement benefits from the date of posting as daily wage workers, ad-hoc, work-charged, contract, fixed pay and part-time workers, In such a situation, it is necessary to make a law for the purpose of bringing a transparent process in view of the limited resources of the state.

02. The proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

(Prem Chand Agarwal)  
Minister

प्रमाणित पति



लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड